न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –13 / 2022(2022 / 00055)

अनवान : –

कुरडाराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
2. पृथ्वीसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री रोहताश शर्मा वादी अधिवक्ता
श्री महावीरसिंह प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक : 21/4/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एएमएस के खाता संख्या 141 / 95 के मुरब्बा न0 37 के किला न0 1 ता 4, 10 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला न0 11 / 1 की 0.240 है0, किला न0 11 / 2 की 0.013 है0 गैर मुमकिन इस प्रकार कुल 1.518 हैक्टेयर जिसमें नहरी 1.5050 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता 0.013 हैक्टेयर गैर मुमकिन प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसी प्रकार रोही मौजा चक 1 एएमएस के खाता संख्या 104 / 59 के मुरब्बा न0 28 के किला न0 7 की 0.038 है0 नहरी, किला न0 8 / 1 की 0.215 है0 नहरी, किला न0 8 / 2 की 0.013 है0 गैर मुमकिन रास्ता इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 0.266 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा पोकरराम की खातेदारी हुआ करती थी। पोकरराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी रामस्वरूप ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उपखण्डधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप को वादी के दादा पोकरराम से विरासतन प्राप्त हुई है। खतौनी जमाबन्दी चक 6 एएमएस सम्वत 2054 के खाता संख्या 51/52 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया, जो तसदीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 से कोई अनुतोष न चाहने पर वकील वादी द्वारा तर्क अंकित किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी कुरड़ाराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 1 एएमएस सम्वत 2075–78 खाता संख्या 104/59 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 6 एएमएस सम्वत 2074–77 खाता संख्या 141/95 प्रदर्श 2, सदस्यता प्रमाण पत्र बाबत शपथ पत्र प्रदर्श 3, खतौनी जमाबनदी चक 6 एएमएस सम्वत 2054 खाता संख्या 51/52 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। चूंकि चक 1 एएमएस के खाता संख्या 104/59 की कुल 0.266 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये है, जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि हो तथा निवेदन किया गया कि उक्त भूमि प्रतिवादी रामस्वरूप के स्वयं के नाम रखी जावें।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 6 एएमएस के खाता संख्या 141/95 के मुरब्बा न0 37 के किला न0 1 ता 4, 10 प्रत्येक 0. 253 हैक्टेयर, किला न0 11/1 की 0.240 है0, किला न0 11/2 की 0.013 है0 गैर मुमकिन इस प्रकार कुल 1.518 हैक्टेयर जिसमें नहरी 1.5050 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता 0.013 हैक्टेयर गैर मुमकिन प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 सं0 13/22 अनुवान कुरड़ाराम बनाम रामस्वरूप आदि धारा 88 आरटीएक्ट

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 एएमएस के खाता संख्या 141/95 के मुरब्बा न0 37 के किला न0 1 ता 4, 10 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला न0 11/1 की 0.240 है0, किला न0 11/2 की 0.013 है0 गैर मुमकिन इस प्रकार कुल 1.518 हैक्टेयर जिसमें नहरी 1.5050 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता 0.013 हैक्टेयर गैर मुमकिन प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उसमें प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप का नाम कलमजन किया जाकर वादी कुरडाराम व प्रतिवादी संख्या 2 पृथ्वीसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —13 / 2022(2022 / 00055)

अनवान : —

कुरडाराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
2. पृथ्वीसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझा शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रोहताश शर्मा व वकील प्रतिवादी महावीरसिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 एएमएस के खाता संख्या 141 / 95 के मुरब्बा न0 37 के किला न0 1 ता 4, 10 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला न0 11 / 1 की 0.240 है0, किला न0 11 / 2 की 0. 013 है0 गैर मुमकिन इस प्रकार कुल 1.518 हैक्टेयर जिसमें नहरी 1.5050 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता 0.013 हैक्टेयर गैर मुमकिन प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उसमें प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप का नाम कलमजन किया जाकर वादी कुरडाराम व प्रतिवादी संख्या 2 पृथ्वीसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/4/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़